

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक.क्रमांक-961 / 2012

संस्थित दिनांक-26.11.2012

फाई. क्र.234503000472012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

रंजनसिंह पिता सुखसिंह, उम्र 35 साल,  
 निवासी भुरूक(कटंगी) नयाटोला थाना,  
 बिरसा जिला बालाघाट।

— — — **आरोपी**// **निर्णय** //

**(आज दिनांक 24 / 03 / 2018 को घोषित)**

**01.** आरोपी रंजनसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो के तहत यह आरोपी है कि उसने दिनांक 14.10.2012 को रात्रि करीब 08:00 बजे स्थान भुरूक(कटंगी) नयाटोला आरोपी का घर थाना बिरसा के अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी बुद्धसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत प्रेमलाल के साथ हाथ-मुक्के एवं बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी बुद्धसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी बुद्धसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 14.10.12 को रात्रि करीब 08:00 बजे गांव के रंजन परते के घर जाकर उन लोगों ने ट्रैक्टर के संबंध में बोले कि वह उनका पैसा दे, तब उसने गंदी-गंदी गाली-गलौच कर उसे हाथ-मुक्के एवं प्रेमलाल के दाहिने हाथ की कलाई में बांस की लकड़ी से मारकर चोट पहुँचाया तथा जान से मारने की धमकी दिया। उक्त घटना में बीच-बचाव सुखलाल, बुधसिंह ने किये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध

अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, मौका नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान क्रमांक 117/12 दिनांक 27.10.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपी रंजनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.10.2012 को रात्रि के करीबन 08:00 बजे स्थान भुरूक (कटंगी) नयाटोला आरोपी का घर थाना बिरसा के अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी बुद्धसिंह को अश्लील शब्द का उच्चारित कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत प्रेमलाल के साथ हाथ-मुक्के एवं बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी बुद्धसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**विवेचना एवं निष्कर्ष:-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03:-**

**नोट-** सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05-** साक्षी बुधसिंह अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2012 की रात्रि करीब 8:00 बजे ग्राम भुरूक की है। घटना के समय वह अपने भाई के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से मलाजखंड से लौट रहा था। लौटते समय आरोपी के घर पर उन लोगों ने

ट्रेक्टर के संबंध में हिसाब-किताब मांगा तो आरोपी उन लोगों को गंदी-गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी देने लगा, फिर आरोपी ने बांस की लकड़ी से उसके भाई प्रेमलाल को हाथ पर मारा था। फिर वह लोग अपने घर आ गये।

**06—** साक्षी बुधसिंह अ.सा.01 के अनुसार घटना के दूसरे दिन वह एवं उसका भाई बिरसा थाने जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराये। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों को उसने घटनास्थल बता दिया था और पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**07—** साक्षी बुधसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी कटंगी निवास करता है और वह भूरूक रहता है। कटंगी से भूरूक की दूरी लगभग आधा कि०मी० है। ट्रेक्टर उसके पिताजी के नाम का है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त ट्रेक्टर में आरोपी का पैसा लगा हुआ है। साक्षी के अनुसार वह चलाता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी के पास वाहन चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस बयान में यह बता दिया था कि कटंगी के रंजन परते के साथ ऐसे चार पांच लोग मिलकर बैंक से अपने खेतों का पट्टा पावती के उपर के शामिल खाता से ट्रेक्टर व ट्राली खरीदकर किराये से चला रहा था।

**08—** साक्षी बुधसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उसके बयान में उक्त बात कैसे लिखी वह नहीं बता सकता, उसके बयान पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से लिख लिये, घटना दिनांक को वह चारटोला गया था, रंजनसिंह परते के घर नहीं गया था, प्रपी०-1 में आरोपी के घर जाकर उन्होंने ट्रेक्टर के संबंध में बोले थे कि उनका पैसा दे दे तो उन लोगों को आरोपी गंदी-गंदी गाली-गलौच कर रहा था वाली बात पुलिस को नहीं बताया था, उक्त बात पुलिस वालों ने कैसे

लिख लिया नहीं बता सकता, प्र.पी.02 का मौका-नक्शा पुलिस वालों ने उसके बताये अनुसार थाने में बनाये थे।

**09—** साक्षी बुधसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी के साथ अभी उनका कोई विवाद नहीं है, आरोपी के साथ चार-पांच लोग मिलकर के ट्रैक्टर खरीदे थे और उन्होंने आरोपी को पैसा न देना पड़े के ईरादे से उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं।

**10—** साक्षी सुखराम अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थीगण को जानता है। घटना वर्ष 2012 की ग्राम कटंगी की है। घटना के समय वह लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तब आरोपी के घर के सामने उसके भतीजे बुधसिंह एवं प्रेमलाल का आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था। उसके सामने केवल लामा-झुमी हुई थी। आरोपी ने उसके सामने मारपीट एवं गाली-गलौच नहीं की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**11—** साक्षी सुखराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी एवं प्रार्थीगण ने अपनी जमीन को बैंक में बंधक रखकर लोन से ट्रैक्टर कय किये थे। उसे घटना किस दिनांक, वर्ष एवं समय की है मालूम नहीं। बचाव पक्ष के इन सुझावों को साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थीगण के विवाद के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, उसने भतीजे एवं ग्राम कटंगी के रंजन परते के साथ चार-पांच लोग मिलकर बैंक से खेतों के पट्टे जमा कर लोन से ट्रैक्टर लेने वाली बात नहीं बताया था, उक्त बात उसके पुलिस कथन में कैसे लेख है, कारण नहीं बता सकता।

**12—** साक्षी गुहदर अ.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थीगण को जानता है। घटना वर्ष 2012 की ग्राम कटंगी की



है। घटना के समय वह लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तब आरोपी के घर के सामने बुधसिंह एवं प्रेमलाल का आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था। वह जब पहुँचा तो झगड़ा शांत हो गया था। उसके सामने आरोपी ने मारपीट एवं गाली-गलौच नहीं की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक नहीं बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**13—** साक्षी गुहदर अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना के समय प्रार्थीगण आरोपी रंजनसिंह के घर में बैठे थे या नहीं। बचाव पक्ष के इन सुझावों को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था, पुलिस वालों ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। जप्ती पत्रक प्र.पी.03 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर किस बाबद् करवाये थे उसे नहीं बताये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था।

**14—** साक्षी मंगल अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थीगण को जानता है। घटना वर्ष 2012 की ग्राम कटंगी की है। घटना के समय वह लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तब आरोपी के घर के सामने बुधसिंह एवं प्रेमलाल का आरोपी के साथ झगड़ा हुआ था। वह जब पहुँचा तो झगड़ा शांत हो गया था। उसके सामने आरोपी ने मारपीट एवं गाली-गलौच नहीं की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक नहीं बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक नहीं बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**15—** साक्षी मंगल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि

उसे जानकारी नहीं है कि घटना के समय प्रार्थीगण आरोपी रंजनसिंह के घर में बैठे थे या नहीं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ था, पुलिस वालों ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। जप्ती पत्रक प्र.पी.03 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर किस बाबद् करवाये थे उसे नहीं बताये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था।

**16—** साक्षी डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.06 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 15.10.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के सैनिक दलपत क्रमांक 304 द्वारा आहत प्रेमलाल को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण में उसने आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया था। उसकी उक्त चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**17—** साक्षी बनवारीलाल धुर्वे अ.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 16.10.2012 को पुलिस थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी महोदय द्वारा अपराध क्रमांक 127/12 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु दी गई थी। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम कटंगी जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 प्रार्थी बुधसिंह की निशादेही पर तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी रंजन द्वारा घटना में प्रयुक्त बांस की लकड़ी पेश करने पर उसके द्वारा गवाह मंगल एवं गुहदरसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**18—** साक्षी बनवारीलाल धुर्वे अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी रंजनसिंह परते को गवाह जियालाल तथा मंगल के समक्ष

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी रंजन के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी बुधसिंह, गवाह प्रेमसिंह, सुखराम, मंगल, गुहदर के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**19—** साक्षी बनवारीलाल धुर्वे अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.02 की कार्यवाही में घटनास्थल की दूरी नहीं दर्शाया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी बुधसिंह के बताये अनुसार उसने पुलिस थाना में मौका-नक्शा प्र.पी.02 बना लिया था, उसने प्र.पी.03 संपत्ति जप्ती पत्रक की कार्यवाही थाने में तैयार किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.04 की कार्यवाही में गवाह जियालाल को प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने गवाह प्रेमसिंह, सुखराम, गुहदर व मंगल के कथन थाने में बैठकर अपने मन से लेख कर लिया था।

**20—** प्रकरण में स्वयं परिवादी बुधसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह रंजनसिंह के घर नहीं गया था, पुलिसवालों ने उसके बयान अपनी मर्जी से लिख लिये थे तथा मौका-नक्शा थाने में पुलिस ने उसके बताये अनुसार बना लिया था। अन्य साक्षीगण सुखराम अ.सा.02, गुहदर अ.सा.03 तथा मंगल अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी थी। मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.05 से दर्शित है कि आहत प्रेमलाल के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। अभियोजन द्वारा प्रकरण में आहत प्रेमलाल के कथन नहीं कराये जा सके हैं।

**21—** ऐसी स्थिति में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी बुद्धसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य दूसरे

सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत प्रेमलाल के साथ हाथ-मुक्के एवं बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी बुद्धसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त रंजनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**22-** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**23-** प्रकरण में आरोपी विवेचना तथा विचारण के दौरान दिनांक 14.12.2015 से दिनांक 15.12.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

**24-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु  
(शासकीय / विधिक उपयोग)

स्थ. क्र.)